न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय रूडकी, जिला–हरिद्वार।

कम्प्यूटर नम्बर 2686/2022
उत्तराखण्ड राज्य बनाम तनवीर
अन्तर्गत धारा–13 जुआ अधिनियम।
थाना कोतवाली–कलियर।

<u>दिनांकः–20.07.2024</u>

अभियुक्त **तनवीर** उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु मौखिक रूप से कथन किया गया। आज अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आकर भी उक्त मामले मे जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के परिणाम से अवगत कराया गया, फिर भी उसके द्वारा स्वेच्छा से बिना प्रलोभन के अपने जुर्म को स्वीकार करने का कथन किया गया। अभियुक्त का इकबालिया/संस्वीकृत बयान खुले न्यायालय में अंकित किया गया। अभियक्त ने अपने बयान में अपने विरूद्ध आरोपित आरोपों को स्वेच्छा से स्वीकार किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोपित जुर्म को स्वेच्छया एवं बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। अतः अभियक्त द्वारा की गयी जुर्म की संस्वीकृति के आधार अभियुक्त को 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना जायेगा।

दिनांकः <u>20.07.2024</u>

(उदिषा सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय
रूड़की, जिला हरिद्वार।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वह बहुत गरीब है। अतः अभियुक्त द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत मामले में जुर्म इकबाल किया गया है, अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तनवीर **निवासी पिरान कलियर, थाना कलियर, जिला हरिद्वार** को मुकदमा अपराध संख्या–113/2021, जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त को धारा **13 जुआ अधिनियम** के अन्तर्गत धारा **न्यायालय उठने तक की सजा एवं 200/–रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः <u>20.07.2024</u>

(उदिषा सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय
रूड़की, जिला हरिद्वार।